

आधार कार्ड न.

भामाशाह कार्ड न.

I	1.	प्रार्थी का नाम	<input checked="" type="checkbox"/>	किसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान लगावे और उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करे :-			
	2.	पिता/पति का नाम	क्र.सं.	साक्ष्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज		
	3.	वर्तमान स्थायी पता	1	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हों	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के बिजली पानी / टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र		
	4.	पिता/पति का मूल स्थान					
	5.	पिता/पति का व्यवसाय					
	6.	पिता/पति के व्यवसाय का पता					
	7.	जन्म स्थान					
	8.	जन्म दिनांक					
	9.	आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की :-					2.	उसका या उसके माता / पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उनका मकान कहीं अन्य हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हों,
		शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान					
	कक्षा 1 से 9					
	10 वीं					
	12 वीं					
	स्नातक					
	स्नातकोत्तर					
	अन्य					
10.	स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान	3.	यह या उसके माता /पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के मकान में रह रहे हों/रहे हों और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा ।	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के बिजली पानी / टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र			
11.	क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?	हां/नहीं						
12.	आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?	4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो ।	<input type="checkbox"/> पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र			
13.	मोबाईल नंबर (स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)						
II महिला के लिए :-								
1.	क्या आप विवाहित हैं ?	5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो । (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए लागू नहीं होगा)	<input type="checkbox"/> पिता/पति के राजकीय उपक्रम में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र			
2.	आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?						
3.	क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?						
4.	आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?						

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (भुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(शपथ पत्र पाईपेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होगा)

(शपथ-पत्र मे असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र

(बालिग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 01 यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ ।
- 02 यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ ।
- 03 यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है ।
- 04 यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
- 05 यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री

निवासी राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1 यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ ।
- 2 यह है कि मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री है, जो नाबालिक है इस कारण से यह शपथ पत्र में अपनी ओर से पेश कर रहा हूँ जिसकी अग्यु करीबन वर्ष है ।
- 3 यह है कि मेरे उक्त पुत्र / पुत्री का जन्म में ही हुआ है ।
- 4 यह है कि मेरा पुत्र / पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है ।
- 5 यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
- 6 यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं, पत्नी श्री निवासे।

राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

- 01 यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
- 02 यह है कि मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी हैं।
- 03 यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
- 04 यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा

साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैं पुत्र/पुत्री /पत्नी निवासी
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया श्री /श्रीमती पुत्र/पुत्री
निवासी को भली भांति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला
राजस्थान में निवास कर रहा /रही है।

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

(2) मैं पुत्र/पुत्री /पत्नी निवासी
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया श्री /श्रीमती पुत्र/पुत्री
निवासी को भली भांति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला
राजस्थान में निवास कर रहे /रही है।

(हस्ताक्षर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाएं (स्टेपल नही करे) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ-पत्र (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय हैं।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रमारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जांचकर्ता की रिपोर्ट :-

1. प्रार्थी द्वारा भरा गया विवरण I (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है। हां/नहीं
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है। हां/नहीं
यदि नहीं तो विशेष विवरण

प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है/आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है।

आवेदन पत्र पर आपत्तियां

हस्ताक्षर लिपिक

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

1. प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
2. आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण/ अन्य कारण खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी